N.I.A. Case No – 30/2023

Witness No. **03** For – **अभियोजन** Deposition Taken the **13 February 2024** day of– Witness's apparent age – **30 वर्ष**

States on affirmation–**शपथ पूर्वक कथन** My name is – **लीलाधर ध्रुव**

S/of – **स्व. श्री बचन सिंह ध्रुव** Occupation – **आरक्षक**

Address –**डीआरजी ग्रुप नं–6 रक्षित केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा (छ.ग.)**

साक्ष्य प्रारंभ समय –11:45 बजे।

1– मैं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्क्रीन में दिखाई दे रहे अभियुक्तगण बुधरा माड़वी, जितेन्द्र मुचाकी, हिड़मा मड़काम, हिड़मा माड़वी, सुक्का ताती, पाण्डू ताती, मासा कवासी, कोसा मण्डावी, अर्जून कुंजाम, देवा माड़वी, गंगा माड़वी, बण्डी माड़वी, मुया कोवासी, जोगा मण्डावी, सुक्का सोड़ी, रामलाल मण्डावी, भीमा मण्डावी, लिंगा मण्डावी, दिनेश कश्यप, देवा तेलाम, सोमारू कुंजाम एवं सुक्का नुप्पो को जानता एवं पहचानता नहीं हूं।

2– मैं वर्ष 2017 से आज पर्यन्त डीआरजी दंतेवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं।

3– घटना वर्ष 2023 की है। मैं, निरीक्षक संजय पोटाम के हमराह में ककाड़ी, पोरोककाड़ी क्षेत्र की ओर नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु गया था। गस्त सर्चिंग से वापसी के दौरान दोपहर के लगभग 01:30 बजे नक्सलियों द्वारा बम ब्लास्ट किया गया और पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नियत से फायरिंग किया गया था। आत्मरक्षार्थ जवानों द्वारा भी फायरिंग किया गया। फायरिंग लगभग 10 से 15 मिनट तक चली थी। उक्त ब्लास्ट की घटना में डीआरजी के 10 जवान एवं 01 ड्राईवर शहिद हो गये थे। फायरिंग समाप्ति पश्चात् घटना स्थल का सर्चिंग करने पर 11 मृत शव के टुकड़े बरामद किया गया।

4– पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

टीपः– इस स्तर पर विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ममता शर्मा द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जैसे प्रश्न करने की अनुमति चाहा गया। इस साक्षी के न्यायालयीन कथन, पुलिस द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथन एवं अभियोजन के दस्तावेज से असंगत है और यह साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है। अतः विचार उपरांत अनुमति दी गयी।

5– यह कहना गलत है कि, मैंने फायरिंग करने वाले नक्सलियों का आपस में एक–दूसरे का नाम लेते हुए चैतू, देवा, रनसाय, जयलाल, बामन, सोमे, राकेश, भीमा सुना था। यह कहना गलत है कि, घटनास्थल से 90 मीटर लंबा वायर और वायर में लगा 03 नग डेटोनेटर बरामद हुआ था तथा पिट्ठू बैग व अन्य सामान की बरामदगी की गई थी।

6– मैंने **पुलिस कथन प्र.पी.–02** के अ से अ भाग का अंश **"पूर्व से घात लगाकर————————————बरामद हुआ।"** पुलिस को नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख दिया, मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूं। Ex.P.-02

नोट–साक्षी को पुलिस कथन प्र.पी.–02 पढ़कर सुनाये जाने पर उपरोक्तानुसार कथन किया है।

7– यह कहना गलत है कि, मैं, अभियुक्तगण को बचाने के लिये सही कथन नहीं कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनिल नागवंशी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

8– यह कहना सही है कि, मैंने आई.ई.डी. ब्लास्ट एवं फायरिंग करने वाले किसी भी नक्सली को देखा, पहचाना नहीं था।

साक्ष्य समाप्ति समय –12:00 बजे।

उक्त बयान साक्षी के बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया,
साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया, समझाया गया,
उसने सही होना स्वीकार किया।

–सही–
(प्रवीण कुमार प्रधान)
विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए.एक्ट
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

–सही–
(प्रवीण कुमार प्रधान)
विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए.एक्ट
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर

<u>आज प्रदर्श अंकित दस्तावेज– **प्र.पी.–02**</u>।

N.I.A. Case No – 30/2023

Witness No. **02** For – **अभियोजन** Deposition Taken the **13 February 2024** day of– Witness's apparent age – **30 वर्ष**

States on affirmation–**शपथ पूर्वक कथन** My name is – **आशाराम पोड़ियाम**

S/of – **श्री बामन पोड़ियाम** Occupation – **आरक्षक**

Address –**डीआरजी ग्रुप नं–6 रक्षित केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा (छ.ग.)**

साक्ष्य प्रारंभ समय –11:30 बजे।

1– मैं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्क्रीन में दिखाई दे रहे अभियुक्तगण बुधरा माड़वी, जितेन्द्र मुचाकी, हिड़मा मड़काम, हिड़मा माड़वी, सुक्का ताती, पाण्डू ताती, मासा कवासी, कोसा मण्डावी, अर्जून कुंजाम, देवा माड़वी, गंगा माड़वी, बण्डी माड़वी, मुया कोवासी, जोगा मण्डावी, सुक्का सोड़ी, रामलाल मण्डावी, भीमा मण्डावी, लिंगा मण्डावी, दिनेश कश्यप, देवा तेलाम, सोमारू कुंजाम एवं सुक्का नुप्पो को जानता एवं पहचानता नहीं हूं।

2– मैं वर्ष 2017 से आज पर्यन्त डीआरजी दंतेवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं।

3– घटना वर्ष 2023 की है। मैं, निरीक्षक संजय पोटाम के हमराह में ककाड़ी, पोरोककाड़ी क्षेत्र की ओर नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु गया था। गस्त सर्चिंग से वापसी के दौरान दोपहर के लगभग 01:30 बजे नक्सलियों द्वारा बम ब्लास्ट किया गया और पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नियत से फायरिंग किया गया था। आत्मरक्षार्थ जवानों द्वारा भी फायरिंग किया गया। फायरिंग लगभग 10 से 15 मिनट तक चली थी। उक्त ब्लास्ट की घटना में डीआरजी के 11 जवान शहिद हो गये थे। फायरिंग समाप्ति पश्चात् घटना स्थल का सर्चिंग करने पर 11 मृत शव के टुकड़े बरामद किया गया।

4– पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

टीपः– इस स्तर पर विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ममता शर्मा द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जैसे प्रश्न करने की अनुमति चाहा गया। इस साक्षी के न्यायालयीन कथन, पुलिस द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथन एवं अभियोजन के दस्तावेज से असंगत है और यह साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है। अतः विचार उपरांत अनुमति दी गयी।

5– यह कहना गलत है कि, मैंने फायरिंग करने वाले नक्सलियों का आपस में एक–दूसरे का नाम लेते हुए चैतू, देवा, रनसाय, जयलाल, बामन, सोमे, राकेश, भीमा सुना था। यह कहना गलत है कि, घटनास्थल से 90 मीटर लंबा वायर और वायर में लगा 03 नग डेटोनेटर बरामद हुआ था तथा पिट्ठू बैग व अन्य सामान की बरामदगी की गई थी।

6– मैंने **पुलिस कथन प्र.पी.–01** के अ से अ भाग का अंश **"माओवादियों के द्वारा——————————बरामद हुआ था।"** पुलिस को नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख दिया, मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूं। **Ex.P.-01**

नोट–साक्षी को पुलिस कथन प्र.पी.–01 पढ़कर सुनाये जाने पर उपरोक्तानुसार कथन किया है।

7– यह कहना गलत है कि, मैं, अभियुक्तगण को बचाने के लिये सही कथन नहीं कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनिल नागवंशी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

8– यह कहना सही है कि, मैंने आई.ई.डी. ब्लास्ट एवं फायरिंग करने वाले किसी भी नक्सली को देखा, पहचाना नहीं था।

साक्ष्य समाप्ति समय –11:45 बजे।

उक्त बयान साक्षी के बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया,
साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया, समझाया गया,
उसने सही होना स्वीकार किया।

–सही–
(प्रवीण कुमार प्रधान)
विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए.एक्ट
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

–सही–
(प्रवीण कुमार प्रधान)
विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए.एक्ट
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर

<u>आज प्रदर्श अंकित दस्तावेज– **प्र.पी.–01**</u>।